

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

28.11.2024

वाद सं०— एम०— 44 / 2024—25

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, डुमरी थाना) —बनाम— कमलेश इंदवाद वगै०
आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०— 83 / 2024 एवं डुमरी थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 25 / 2024 दिनांक— 22.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. कमलेश इंदवाद, पे०— अमीर चीक बड़ाईक, सा०— लावाबार 2. मोहनलाल तुरी, पे०— स्व० घुरपा तुरी, सा०— लावबार 3. रामप्रसाद सिंह, पिता— स्व० प्रभु सिंह, सा०— खेतली 4. रामअवतार यादव, पे०— अजय यादव, सा०— कुटलू 5. आदित्य कुमार गुप्ता, पे०— रामकैलाश प्रसाद, सा०— डुमरी 6. हेमन्त गुप्ता, पे०— गोपाल गुप्ता, सा०— डुमरी सभी थाना— डुमरी, जिला— गुमला को विधान सभा निर्वाचन, 2024 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक— 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आर्दश आचार संहिता का भी समापन हो गया है। थाना प्रभारी, डुमरी से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं सशांधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।